कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर

(विभागाध्यक्ष, "बी" ब्लॉक, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर)

क्रमांक / पंजीयन / 2014 / 2450 नया रायपुर, दिनांक : 9 / 05 / 2014

प्रति,

1. संयुक्त पंजीयक, समस्त
   सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
2. उप / सहायक पंजीयक, समस्त
   सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विषय :— मत्स्य सहकारी समितियों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ :— कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक / विविध / कृषि / 1 / 99 / 326 दिनांक 16 / 07 / 1999

—00—

कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है। मत्स्य सहकारी समितियों के पंजीयन के संबंध में पूर्व प्रसारित निर्देशों के उपरांत भी मछुआरों की सहकारी समितियों के पंजीयन कार्य में विभिन्न स्तरों पर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा इस विषय में विवाद की संभावनाएं रहती हैं। नवीन समितियों का गठन करते समय निम्न बिन्दुओं का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावें।

1. नवीन समिति गठन हेतु न्यूनतम 20 सदस्य विभिन्न कुटुम्ब के होना चाहिये।
2. जिलों के उप / सहायक संचालक, मत्स्योद्योग की अनुशंसा तकनीकी प्रतिवेदन सहित प्राप्त होना अनिवार्य हैं।
3. पंजीकृत समितियों के कार्यक्षेत्र निर्धारण में भी कठिनाईयॉ व्याप्त है। छ0ग0 सहकारी समितियॉ अधिनियम 1960 की धारा 09 में स्पष्ट प्रावधान है कि एक ही समिति के कार्यक्षेत्र में अन्य समिति का पंजीयन सामान्यतः नहीं किया जावेगा। यदि जलक्षेत्र की उपलब्धता के आधार पर पंजीयन किया जाना आवश्यक है तो पहले पंजीकृत समिति को पक्ष रखें जाने का अवसर दिया जावे तथा राज्य शासन द्वारा जारी मछुआ नीति के प्रावधानों का पालन करते हुए सहकारिता अधिनियम में विहित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे।
4. प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में पट्टे हेतु जलाशय क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में स्पष्ट आश्वासन पत्र प्राप्त कर किया जावे। ऐसा आश्वासन पत्र पंचायत / शहरी निकाय अथवा सिंचाई विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिये।
5. मत्स्य महासंघ से समिति के गठन हेतु अनुशंसा / अनापत्ति प्राप्त कर ली जावे।
6. नवीन सहकारी समिति के गठन के समय यह सुनिश्चित किया जावे कि केवल वे ही व्यक्ति समिति के सदस्य बने, जो वास्तव में मछुआरे की परिभाषाओं में आते हो और पानी में उतरकर मछली पकड़ते हो एवं प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।

7. गैर मछुओं, निष्क्रिय सदस्यों जो मत्स्य पालन/मत्स्याखेट/मत्स्य बीज उत्पादन नहीं करता है ऐसे व्यक्तियों की समिति पंजीकृत न की जावे तथा इस संबंध में पूर्ण जानकारी मछली पालन विभाग के जिला अधिकारियों से प्राप्त की जाना सुनिश्चित करें।
8. एक समिति का केचमेंट एरिया समिति के मुख्यालय से 08 किमी की परिधि का होगा। जलाशय के 08 किमी की परिधि में रहने वाले मछूए समिति की सदस्यता के पात्र होंगे।
9. मत्स्य सहकारी समितियों में सदस्यता उसी व्यक्ति को दी जाना चाहिये, जो अपनी आजीविका का अर्जन मत्स्य या उससे संबद्ध व्यवसाय से करता हो चाहे वह किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो इन समितियों की वर्तमान सदस्यता का भी परीक्षण मत्स्य विभाग को सूक्ष्मता से कर लेना चाहियें।
10. सभी प्राथमिक समितियों को छ0ग0 मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित का सदस्य बनाना चाहिये ताकि समितियॉ इन संघों के माध्यम से कार्य एवं विपणन की संभावना बनी रहे।
11. पंजीयन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके कार्यक्षेत्र में आगामी 03 माह के अंदर जलाशय प्राप्त होने की स्थिति बनी रहे, ताकि सदस्यों को कार्य व्यवसाय प्राप्त हो सकें।
12. छ0ग0 राज्य मत्स्य सहकारी महासंघ से 45 दिन के भीतर अनुशंसा प्राप्त कर ली जावे। उक्त समयावधि में अनुशंसा प्राप्त नहीं होती है तो पंजीयन की कार्यवाही उपरोक्त विहित मापदंड के तहत की जावे।

उपरोक्त निर्देशों का सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित किया जावे।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ0 क्रमांक/पंजीयन/2014/ 2450 नया रायपुर, दिनांक 9 /05/2014

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, सहकारिता विभाग, 'मंत्रालय' महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, मत्स्योद्योग, छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, रायपुर की ओर पंजीयन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुशंसा/अभिमत 45 दिवस के अंदर अनिवार्यतः जिले के उप/सहायक पंजीयक को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. समन्वय/विविध/अंकेक्षण कक्ष, कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़